संख्या: 12/2016/1412/छप्पन-2015-01/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक : 03 फरवरी, 2016

विषय: कानपुर (देहात) की तहसील रसूलाबाद में एक नयी राजकीय हवाई पट्टी की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 475/ए0एस0-114-15/2015, दिनांक 03 सितम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ ने जनपद कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद में राजकीय हवाई पट्टी का निर्माण किये जाने हेतु राइट्स लिमिटेड द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रूपये 12560.43 लाख पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावित आगणन लागत रूपये 12560.43 लाख (रूपये एक अरब पच्चीस करोड़ साठ लाख तेतालिस हजार मात्र) को व्यय वित्त समिति द्वारा रूपये 11891.65 लाख (रूपये एक अरब अठारह करोड़ इक्यानवे लाख पैंसठ हजार मात्र) की लागत पर अनुमोदित किया गया है। उक्त आगणन के आंकलन/अनुमोदन से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2015 का कार्यवृत्त और अनुमोदित/आंकलित आगणन की प्रतिलिपि संलग्न है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कानपुर (देहात) की तहसील रसूलाबाद में एक नयी राजकीय हवाई पट्टी की स्थापना हेतु आगणन लागत रूपये 11891.65 लाख (रूपये एक अरब अठारह करोड़ इक्यानवे लाख पैंसठ हजार मात्र) जिसमें 11 प्रतिशत की दर से कन्सल्टेन्सी फीस और कन्सल्टेन्सी फीस पर 14 प्रतिशत की दर से सर्विस टेक्स सम्मिलित है, पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं। अतः इस धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप रूपये 44.00 करोड़ (रूपये चवालिस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ सहर्ष प्रदान करते है :-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन/मद पर व्यय की जायेगी जिस प्रयोजन/मद हेतु यह स्वीकृति की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा और व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2015 के कार्यवृत्त में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4) मिट्टी भराई मद में रूपये 24.38 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी थी। इस मद में फिलहाल एकमुश्त रूपये 5.00 लाख की मिट्टी भराई की धनराशि अनुमन्य की जाती है। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करने हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही की जायेगी, तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर सहमत होने के पश्चात मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन) (सदस्य, व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रयोजना की लागत बढ़ी हुई मानी जायेगी। उपरोक्तानुार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढ़ी हुई लागत को पुनः व्यय वित्त समिति के सक्षम लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) प्रयोजना में फाउन्टेन, फर्नीचर, जनरेटर सेट, फिल्टर मशीन, प्रेशन पम्प, रेफ्रीजरेटर, आर0ओ0, गीजर एवं एल0सी0डी0 सेट आदि हेतु बजटरी आफर/ कोटेशन के आधार पर लागत प्रस्तावित की गयी है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्य हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरे प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभिविक है। अतः अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वितीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोका जाय और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाय।

(7) प्रयोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रयोजना लगत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रयोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय यथा-आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) निर्माण कार्यो के लिए स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने खाते में जमा करने पर यदि ब्याज अर्जित किया जायेगा तो उसे राजकीय कोष में जमा करना होगा।

(10) प्रायोजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाय तथा भविष्य में प्रायोजना पुनरीक्षिण स्वीकार्य नहीं होगा।

(11) स्वीकृत धनराशि आहरित कर संबंधित पक्षों को नियमानुसार व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) कानपुर देहात के क्षेत्रान्तर्गत स्थित रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में एक नयी राजकीय हवाई पट्टी की स्थापना हेतु समय-समय पर विभिन्न मदों में व्यय का विवरण प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि की गणना के आधार पर आगमी माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखाशीर्षक " 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन -24-वृहत्त निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या:ई-7-95/दस-2016, दिनांक 03 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

संलग्नक- यथोक्त ।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्याः 12/2016/1412(1)/छप्पन-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर/जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, कानपुर देहात।
(6) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in